न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट संख्या -2,गाजियाबाद।

विविध वाद संख्याः 18/ 2022

कम्प्यूटर रजि० नं० 817/ 2022

प्रहलाद सिंह आदि बनाम कृपाल सिंह आदि

<u>प्रार्थनापत्र 16 ग व 19 ग का निस्तारण</u>

प्रार्थनापत्र 16 ग व 19 ग पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थनापत्र 16 ग पुनर्स्थापना प्रार्थनापत्र में आदेश –9 नियम 9 के स्थान पर आदेश 41 नियम 19 अंकित किये जाने हेतु तथा विपक्षी संख्या 2 व 3 का नाम डिलीट किये जाने हेतु दिया गया है। प्रार्थनापत्र 19 ग पुनर्थापना प्रार्थनापत्र में विपक्षी संख्या 4 व 5 की जगह विपक्षी संख्या 2 व 3 अंकित किये जाने हेतु दिया गया है। विपक्षीगण की ओर से आपत्ति 18 ग दाखिल करते हुये प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया। प्रार्थी पुनर्स्थापना प्रार्थनापत्र में हुयी लिपिकीय त्रुटि को सही कराना चाहता है। न्यायहित में प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 16 ग व प्रार्थनापत्र 19 ग स्वीकार किया जाता है। पुनर्स्थापना प्रार्थनापत्र में वांछित संशोधन अन्दर 7 दिन किया जाये। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 24–08–2023 को पेश हो।

दिनांकः 27–07–2023

(आलोक पाण्डेय)
अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या –2,गाजियाबाद।